कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ0ग0)

स्वच्छता शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक कोरबा (छत्तीसगढ़)

दुरभाषः 221288, 222672, फैक्स : 07759–221929, पोस्ट बॉक्स नम्बर–12 पिन कोड़– 495677

Webside : www.korbamunicipal.in, Email : mck.helthsection @gmail.com

क्रमांक / 06 / स्व. / 2025 / 12442 कोरबा दिनॉक 10/11/25

//रूचि की अभिव्यक्ति//

नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.) द्वारा पंजीकृत गौ सेवा संगठनों (समिति) पशु सुरक्षा संगठनों से निम्न कार्यो हेतु प्रस्ताव आमंत्रित है।

कार्य का नाम :–

1. सडकों पर घूमने वाले आवारा पशुओं (घुमन्तु पशुओं) को छ.ग. राज्य गौ सेवा आयोग नियम 2005 (यथा संशोधित 2011,2013,2016,2017) के विहित प्रावधानों के अंतर्गत विधिक कानून का पालन करते हुए काऊ केंचर के माध्यम से पकड़कर कांजीघर / गौठान में व्यवस्थित करने एवं कांजीघर / गौठान में व्यवस्थित गौधन / पशुओं की देख –रेख घास, भोज़न की व्यवस्था सफाई व्यवस्था एवं सुरक्षा का कार्य।
2. प्रति पशु / प्रति दिवस प्रस्ताव आमंत्रित है, प्रस्ताव निगम में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24/11/25 अधिक जानकारी के लिये इच्छुक स्वयसेवी संस्था नगर पालिक निगम, कोरबा की बेबसाईड.. में साकेत भवन के राजस्व शाखा एवं स्वच्छता शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

पृ.क. / 06 / स्व. / 2025 / कोरबा, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–

1. प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) को uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

नियम एवं शर्ते

1. संस्था रजिस्टर फर्म्स एवं सोसायटीज से पंजीकृत हो एवं न्यूनतम 05 वर्ष से गौ सेवा जुडे हों।
2. स्थानीय स्वयं सेवी संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. काऊ केंचर मय टैक्टर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
4. टैक्टर हेतु ईधन, ड्रायवर, वाहन मैन्टीनेंस.. द्वारा किया जावेगा।
5. काऊ केंचिंग हेतु प्रशिक्षित कामगार/श्रमिकों/गौ सेवकों संख्या................................ अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य पर रखे जायेगें। कार्य पर रखे कामगार/श्रमिकों/गौ सेवकों के वेतन/मानदेय का भुगतान अनुबंधित संस्था द्वारा किया जावेगा।
6. कार्य पर रखे कामगार/श्रमिकों/गौ सेवकों की उपस्थिति कार्य के प्रभारी द्वारा प्रतिदिवस सत्यापित की जावेगी।
7. अनुबंधित संस्था काऊ केचिंग कार्य में संलग्न कामगारो/श्रमिकों/गौ सेवकों का मासिक वेतन देयक पत्रक प्रभारी से सत्यापित कराने के पश्चात् निगम में प्रस्तुत करेगें।
8. अनुबंधित संस्था द्वारा उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत करने पर नगर पालिक निगम, द्वारा स्वीकृत कलेक्टर दर पर भुगतान संस्था को किया जावेगा।
9. कांजी हाऊस/गौठान/पशु व्यवस्थापन स्थल पर निरूद्ध पशुओं के प्रतिदिवस भोजन,घास–चारा की खुराक का मापदण्ड छ.ग. गौ सेवा आयोग के प्रावधानुसार निर्धारित राशि के आधार पर किया जावेगा।
10. कांजी हाऊस/गौठान/पशु व्यवस्थापन स्थल पर व्यवस्थित पशुओं हेतु पानी आपूर्ति नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा की जावेगी।
11. कांजी हाऊस/गौठान/पशु व्यवस्थापन स्थल पर विद्युत व्यवस्था, सैड एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थायें नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी। गौशाला/कांजीहाउस/गौठान संचालन हेतु छ.ग. राज्य में पंजीकृत एवं कार्यरत संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी।
12. गौशाला/कांजीहाऊस/गौठान/पशु व्यवस्थापन स्थल में पशुओं की संपूर्ण देखभाल एवं व्यवस्था संबंधित संस्था की होगी। जो कि पशुओं के उपचार,टीकाकरण हेतु पशु चिकित्सा विभाग के सतत् संपर्क में रहकर कार्य करेगी।

E:DATA-S-TIWARI